न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खरेड़ा बनाम महीलाल जाटी पिछ छोटी शनौता

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 33/2022 निर्णय दिनाँक :– 14/5/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानौता की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गोचर में से 0.02 HAKTARE रकबे पर श्री महीलाल जाटी पिछ छोटी पर अनाधिकृत रूप से तगाडि अतिक्रमण कर ... बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खरेड़ा द्वारा दिनाँक ... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी महीलाल जाटी पिछ छोटी जाति ... निवासी रानौता को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ... महीलाल उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112/3.00 रकबा 3.00 में से 0.02 रकबे किस्म गोचर तगाडि है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वौरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 97 Paise का 50 गुणा 121/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खरेड़ा भू॰अ॰निरी॰ दारोदा ... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)